Hindi

अपराध (संवेदनशील लोगों के प्रति किए गए अपराध) कानून संशोधन अधिनियम 2020

CRIMES (OFFENCES AGAINST VULNERABLE PEOPLE) LEGISLATION AMENDMENT ACT 2020

तथ्य पत्रक

एक दृष्टि में

- ये नए अभियोजन विकलांगता–ग्रस्त वयस्कों और समुदाय के वृद्ध, संवेदनशील सदस्यों का संरक्षण करते हैं
- ये अपराध मौजूदा अपराधों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं
- ये अपराध देखभाल प्रदान करने के उत्तरदायित्व वाले ऐसे लोगों और संगठनों को लक्षित कर रहे हैं, जो गलत काम करते हैं
- एक नया अपराध परिभाषित किया गया है, जो संस्थान के अंदर रहने वाले लोगों को गंभीर आपराधिक कृत्यों से संरक्षित करने के लिए संस्थान की विफलताओं को लक्षित करता है
- देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों में स्वैच्छिक रूप से, वैतनिक आधार पर या संस्थान के अंदर अपने पद की भूमिका में देखभाल प्रदान करने वाले लोग शामिल हैं
- ये अपराध देखभाल के केवल उसी पहलू के लिए लागू होते हैं, जिसके लिए व्यक्ति उत्तरदायी है
- ये अपराध वर्तमान विधायी और गैर–विधायी संरक्षणों के पूरक के स्वरूप में हैं

नए अपराध

20 अप्रैल 2021 को ACT में रहने वाले संवेदनशील वयस्कों को अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करने के लिए ACT में नए कानून लागू होंगे। ACT में संवेदनशील व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार, उपेक्षा और उन्हें संरक्षण देने में विफलता को अपराध माना जाएगा। इन नए अपराधों का प्रस्ताव विकलाँगता–ग्रस्त वयस्कों और समुदाय के वृद्ध, संवेदनशील सदस्यों के संरक्षण के लिए दिया गया है।

'संवेदनशील व्यक्ति' कौन होता है?

ACT में संवेदनशील व्यक्ति *(vulnerable person)* को ऐसे वयस्क के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी विकलाँगता से ग्रस्त है या जो 60 वर्ष या इससे अधिक आयु का है और उसके लिए संवेदनशीलता का कोई तत्व लागू होता है।

ये तत्व हैं:

- विकार, बीमारी या रोग, जो व्यक्ति की विचार प्रक्रियाओं, वास्तविकता की अवधारणा, भावनाओं या निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है या इसके परिणामस्वरूप अन्यथा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित होता है;
- बौद्धिक, मानसिक, संवेदी या शारीरिक क्षति, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की बोलने, सीखने या गतिशील रहने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है; या
- कोई भी अन्य कारण, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति सामाजिक रूप से अलग–थलग हो जाता है या वह अपने सामुदायिक जीवन में भाग लेने में असमर्थ रहता है।

60 वर्ष की आयु क्यों?

यह आयु–सीमा शोध के माध्यम से निर्धारित की गई है, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक 2018 रिपोर्ट भी शामिल है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के छह में से एक व्यक्ति को पिछले वर्ष सामुदायिक परिवेश में किसी न किसी प्रकार के दुर्व्यवहार का अनुभव हुआ है।[1] वयोवृद्ध दुर्व्यवहार *(Elder Abuse[2])* के विषय पर ऑस्ट्रेलियाई कानून सुधार आयोग की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया, जिसमें व्यापक ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के सापेक्ष आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट द्वीपवासी लोगों की जीवन प्रत्याशा में अंतर के बारे में जानकारी शामिल थी।

सामान्य रूप से इस तथ्य को स्वीकृति और मान्यता दी जाती है कि 60 वर्ष की आयु पर पहुँचने के बाद समुदाय के सदस्यों के साथ एक अलग तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें इसका अधिकार भी है। इस आयु–सीमा पर ACT समुदाय के सदस्यों को वरिष्ठजन *(seniors)* माना जाता है, और वे अनेकानेक परिवेशों में अलग तरह के व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया–भर में 'वरिष्ठजन' की पदस्थिति के लिए एक ही आयु–सीमा लागू होती है।

'संवेदनशील व्यक्ति' की परिभाषा में विकलाँगता–ग्रस्त व्यक्ति क्यों शामिल हैं?

2019 के अंत में सरकार ने वयोवृद्ध दुर्व्यवहार से संबंधित संभावित आपराधिक कानूनों पर परामर्श किया। संभावित सुधारों के लिए प्रतिक्रियाओं में ये सुझाव शामिल थे कि संरक्षणों को वयोवृद्ध लोगों के संबंध में सीमित रखने के बजाय इन्हें विकलाँगता–ग्रस्त लोगों के लिए भी विस्तारित किया जा सकता है।

इस अधिनियम का लक्ष्य यह है कि हमारे समुदाय में अन्य लोगों द्वारा प्रदान की गई देखभाल पर निर्भर करने वाले संवेदनशील लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा को एक अपराध बनाकर संवेदनशील लोगों के संरक्षण में सुधार किया जाए। इस तथ्य के व्यापक प्रमाण उपलब्ध हैं कि वयोवृद्धों के साथ–साथ विकलाँगता–ग्रस्त लोग भी गैर–आनुपातिक रूप में दुर्व्यवहार से प्रभावित होते हैं।

इस कानून के अंतर्गत 'विकलाँगता–ग्रस्त वयस्क' कौन होता है?

विकलाँगता–ग्रस्त वयस्क *(adult with disability)* का अर्थ *Disability Services Act 1991* के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है। इसमें बौद्धिक, मानसिक, संवेदनात्मक या शारीरिक क्षति से ग्रस्त व्यक्ति शामिल हैं। विकलाँगता या तो स्थायी है, या इसके स्थायी होने की संभावना है और इसका अर्थ है कि व्यक्ति के संवाद करने, सीखने या गतिशील रहने की 'क्षमता में गंभीर ह्रास' हुआ है एवं उसे लगातार रूप से समर्थन सेवाओं की आवश्यकता होगी। यदि कोई व्यक्ति दीर्घकालीन या प्रासंगिक प्रकृति की विकलाँगता से ग्रस्त है

[1] विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2018, 'Elder Abuse,' ऑनलाइन उपलब्ध: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/elder-abuse

[2] Australian Law Reform Commission, 2017, Australian Law Reform Commission Report 131 *Elder Abuse — A National Legal Response*.

और अन्य मानदंड पूरे होते हैं, तो वह भी इस परिभाषा के दायरे में शामिल होगा।

यह परिभाषा स्वयं का संरक्षण करने में असमर्थ लोगों को दुर्व्यवहार से संरक्षित रखने की आवश्यकता का संतुलन इस स्थापित मान्यता से करने का प्रयास करती है कि अक्षम लोग हमेशा किसी अन्य व्यक्ति की तुलना में कुछ कम या अधिक संवेदनशील नहीं होते हैं।

नया अपराध – संवेदनशील व्यक्ति के प्रति दुर्व्यवहार *(Abuse of Vulnerable Person)*

यह अपराध किसी संवेदनशील व्यक्ति की देखभाल करने के उत्तरदायित्व वाले व्यक्ति द्वारा दुर्व्यवहारपूर्ण आचरण को एक आपराधिक कृत्य बनाता है। इस आचरण के परिणामस्वरूप संवेदनशील व्यक्ति को क्षति पहुँचनी चाहिए अथवा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति या उससे संबधित किसी व्यक्ति को आर्थिक लाभ पहुँचना चाहिए, तथा दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति की असावधानी के परिणामस्वरूप यह क्षति होनी चाहिए या लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए।

दुर्व्यवहारपूर्ण आचरण कोई कृत्य (कुछ किया गया) या चूक (कुछ नहीं किया गया) हो सकता है। दुर्व्यवहारपूर्ण आचरण दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार संवेदनशील व्यक्ति के प्रति हिंसा करने, धमकी देने, भयभीत करने या यौन रूप से अनुचित प्रकृति का आचरण है।

दूसरा प्रकार संवेदनशील व्यक्ति या उसके किसी परिचित व्यक्ति के साथ किया गया ऐसा आचरण है, जिसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से कोई प्रभाव उत्पन्न होने की यथोचित संभावना है:

- संवेदनशील व्यक्ति दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है
- संवेदनशील व्यक्ति अकेला पड़ जाता है
- संवेदनशील व्यक्ति की आवश्यकता की सेवाओं तक उसकी पहुँच सीमित हो जाती है, जिसमें उसकी जातीयता, धर्म या आध्यात्मिक विश्वासों, यौन अभिविन्यास और लैंगिक पहचान को समर्थन देने वाले संसाधन और संपर्क करने के लिए सहकर्मी भी शामिल हैं
- संवेदनशील व्यक्ति अपनी कार्य करने की स्वतंत्रता से वंचित या बाधित हो जाता है
- संवेदनशील व्यक्ति भयभीत, अपमानित, गरिमाहीन या दंडित महसूस करता है।

परंतु दूसरे प्रकार के आचरण के संबंध में यदि इस आचरण के परिणामस्वरूप उपरोक्त सूची में से कोई प्रभाव उत्पन्न होता है, तो यह आचरण दुर्व्यवहारपूर्ण आचरण की परिभाषा को केवल तभी पूरा करेगा यदि संवेदनशील व्यक्ति की सुरक्षित और प्रभावी देखभाल के लिए अथवा किसी अन्य उपस्थित या निकटस्थ व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इस प्रकार के आचरण की यथोचित आवश्यकता नहीं है।

किसी संवेदनशील व्यक्ति को उसके कार्य करने की स्वतंत्रता से वंचित या बाधित करने वाले आचरण का उदाहरण यह हो सकता है कि संवेदनशील व्यक्ति की देखभाल सुविधा से बाहर जाने की उसकी क्षमता को बाधित किया जाए, जबकि ऐसा करना उस व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक है। संवेदनशील व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का अपराध करने पर दो स्तर के दंड हैं:

- जो क्षति होती है, यदि वह गंभीर है तो इस अपराध के लिए अधिकतम दंड पाँच वर्षों तक का कारावास है।
- अन्य सभी परिस्थितियों में क्षति के लिए अपराध का अधिकतम दंड तीन वर्षों तक का कारावास है।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवाद उपलब्ध हैं कि सद्भावना के साथ कार्य करने वाले लोग इस अपराध के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी न बनें।

नया अपराध – संवेदनशील व्यक्ति को आपराधिक कृत्य से संरक्षण देने में विफलता *(Failure to protect vulnerable person from criminal offence)*

यदि किसी संस्थान का कोई प्राधिकारी व्यक्ति अपनी देखभाल के अंतर्गत संवेदनशील व्यक्तियों के संरक्षण में असफल रहता है, तो यह अपराध इस विफलता को एक आपराधिक कृत्य बनाता है।

इस अपराध के प्रवर्तन के लिए प्राधिकारी व्यक्ति को संस्थान से संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा संवेदनशील व्यक्ति के प्रति गंभीर आपराधिक कृत्य किए जाने के खतरे से अवगत होना चाहिए, और प्राधिकारी व्यक्ति को उपेक्षा या असावधानी के कारण संवेदनशील व्यक्ति की सुरक्षा के लिए कार्य करने में विफल होना चाहिए।

संस्थान से संबंधित व्यक्ति वह होता है, जो:

- संस्थान का स्वामी है, या संस्थान का प्रबंधन या नियंत्रण करता है;
- संस्थान द्वारा कार्य के लिए नियुक्त या संलग्न किया गया है;
- संस्थान के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करता है;
- संस्थान के साथ या उसकी ओर से किसी कार्य में संलग्न होता है; अथवा
- संस्थान के संबंध में अपने प्राधिकार के आधार पर संस्थान को प्रभावित करने की स्थिति में होता है।

अपराध केवल ऐसे व्यक्ति के लिए ही लागू हो सकता है, जो संस्थान में अपनी पदस्थिति के आधार पर संवेदनशील व्यक्ति के लिए खतरे को कम या दूर कर सकता है।

'प्राधिकारी व्यक्ति' पद को परिभाषित नहीं किया गया है और किसी व्यक्ति के प्राधिकारी व्यक्ति होने का निर्धारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसके लिए जो विचार संभावित रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं, उनमें शामिल हैं: व्यक्ति के पास किस सीमा तक कार्यवाही करने का अधिकार है, उसकी निर्णय लेने की क्या क्षमता है, संस्थान की देखभाल के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार से गंभीर आपराधिक कृत्य के खतरे होते हैं, या उन्हें किस प्रकार से खतरों से संरक्षित किया जाता है।

इस अपराध के लिए अधिकतम दंड पांच वर्षों तक का कारावास है।

नया अपराध – संवेदनशील व्यक्ति की उपेक्षा *(Neglect of Vulnerable Person)*

यह अपराध संवेदनशील व्यक्ति की देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा संवेदनशील व्यक्ति की उपेक्षा को एक आपराधिक कृत्य बनाता है।

नए कानूनों के अंतर्गत देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस व्यक्ति की देखभाल करते हैं, उसे 'जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ' प्रदान की जाती हैं। यह कानून देखभाल के लिए उत्तरदायी लोगों पर लागू होता है, जो जीवन की ऐसी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं जो उनके उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति की देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा हैं।

इस अपराध के लिए अधिकतम दंड पांच वर्षों तक का कारावास है।

देखभाल के उत्तरदायित्व वाले किन लोगों पर ये नए अपराध लागू होते हैं?

संवेदनशील व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने और उसकी उपेक्षा करने के अपराध उस व्यक्ति पर लागू होते हैं, जो संवेदनशील व्यक्ति की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी है।

यदि कोई व्यक्ति संवेदनशील व्यक्ति के लिए आवश्यक देखभाल के किसी भी पहलू पर नियंत्रण रखता है, चाहे वह देखभाल अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो, तो वह उस संवेदनशील व्यक्ति को देखभाल प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है।

देखभाल के लिए उत्तरदायी जिन लोगों पर नए अपराध लागू हो सकते हैं, उनमें भुगतान के आधार पर देखभाल सेवाएँ प्रदान करने वाले और कम औपचारिक व्यवस्था के अंतर्गत देखभाल प्रदान करने वाले लोग शामिल हैं।

नए अपराध संस्थानों पर कैसे लागू होंगे?

सभी अपराध व्यक्ति–विशेषों और निगमित संस्थानों पर लागू होते हैं *(Legislation Act 2003* की धारा 161)।

सभी तीन अपराध इस तथ्य की पहचान करते हैं कि संवेदनशील लोगों की देखभाल निजी परिवेश में की जा सकती है, उदाहरण के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर देखभाल, और संस्थागत परिवेश में भी की जा सकती है, जिसमें देखभाल के लिए उत्तरदायी कर्मचारी काम पर रखने वाले निकाय की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार देखभाल प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

इन अपराधों का ध्यान यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि यदि संस्थागत परिवेश में देखभाल प्रदान की जाती है, दुर्व्यवहार या उपेक्षा के लिए दायित्व का समुचित आरोपण मौजूद है, या संवेदनशील व्यक्ति का संरक्षण करने में विफलता हुई है, तो इन सभी तीन अपराधों में 'प्रासंगिक संस्थान' की अवधारणा शामिल की जाए।

प्रासंगिक संस्थान *(relevant institution)* की परिभाषा से अर्थ एक निकाय, जिसमें व्यक्ति–विशेष शामिल नहीं है, या संस्थानों के समूह से है, जो अपनी देखरेख, पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अंतर्गत संवेदनशील लोगों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए सुविधाओं का परिचालन करता है, उनके साथ गतिविधियों में संलग्न होता है, या उन्हें सेवाएँ प्रदान करता है।

इसका अर्थ है कि संस्थान और व्यक्ति–विशेष, इन दोनों का ही यह उत्तरदायित्व है कि वे अपनी देखभाल के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील लोगों का संरक्षण करें।

क्या प्रतिवाद उपलब्ध हैं?

नए अपराधों के संबंध में कई प्रतिवाद उपलब्ध हैं।

यदि प्रतिवादी निम्नलिखित बातों को सिद्ध कर सकता है, तो उपलब्ध प्रतिवाद लागू होंगे:

> प्रतिवादी का आचरण सभी परिस्थितियों में उपयुक्त था *(reasonable in all the circumstances);* या

> यदि प्रतिवादी प्रासंगिक संस्थान के साथ जुड़ा है (उदाहरण के लिए, प्रबंधक, या कर्मचारी के रूप में), तो प्रासंगिक आचरण:

- उस संस्थान की नीतियों व प्रक्रियाओं के अनुरूप था,
- संस्थान के किसी प्राधिकारी व्यक्ति के निर्देशन में किया गया था, या
- ऐसी परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ था, जो प्रतिवादी के नियंत्रण से बाहर थीं।

सभी परिस्थितियों में आचरण की उपयुक्तता के प्रतिवाद का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों की पहचान करना है, जहाँ उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति (देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति) सद्भावना और अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुसार संवेदनशील व्यक्ति की देखभाल करता है, परंतु देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की वित्तीय या अन्य संसाधनों से संबंधित सीमाओं के परिणास्वरूप संवेदनशील व्यक्ति को अनपेक्षित हानि पहुँचती है। यह प्रतिवाद इस बात को मान्यता देता है कि ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, जहाँ देखभाल प्रदान करने की भूमिकाओं वाले व्यक्ति–विशेषों के पास संभवतः संसाधन या समर्थन उपलब्ध न हों (और वे स्वयं ही संवेदनशील हों), तथा अपने सामर्थ्य के स्तर की देखभाल प्रदान करने के उद्देश्य से उनके पास अभावों को दूर करने के लिए सीमित क्षमता या अवसर उपलब्ध हों।

किसी संस्थान में देखभाल प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए लागू होने वाले प्रतिवाद यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध हैं कि यदि संस्थागत संदर्भ में कर्मचारी प्रक्रियाओं, निर्देशों या कार्यप्रथाओं का पालन कर रहे हों, अथवा यदि उनके पास संवेदनशील व्यक्ति को उपयुक्त रूप से देखभाल प्रदान करने के लिए पर्याप्त संसाधन या समय न हों, तो वे उत्तरदायी नहीं होंगे। ऐसा इसलिए है ताकि यदि कर्मचारियों के कार्यों के परिणाम उनके नियंत्रण की क्षमता से परे हों, तो उन्हें परिणामों के लिए उत्तरदायी न ठहराया जा सके। उदाहरण के लिए, किसी आवासीय वृद्ध देखभाल संस्थान की नीतियों या प्रक्रियाओं के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली देखभाल के कुछ स्तरों को सैद्धांतिक रूप से आवश्यक बनाया जा सकता हैं, परंतु कार्यसूचियों और कर्मचारियों की नियुक्तियों के स्तर का अर्थ यह हो सकता है कि कर्मचारियों के लिए इन आवश्यकताओं का अनुपालन करना प्राकृतिक रूप से असंभव हो। ऐसी परिस्थितियों में कर्मीदल के सदस्य को उनके नियंत्रण से परे कार्यों और निर्णयों के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना चाहिए। इस स्थिति में उपयुक्त रूप से संस्थागत निकाय का उत्तरदायित्व होता है।

'सभी परिस्थितियों में उपयुक्त आचरण' का क्या अर्थ है?

आचरण की उपयुक्तता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी, और न्यायालय देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के प्रशिक्षण और विशेषज्ञता स्तर को संभावित रूप से ध्यान में रखेंगे।

न्यायालय अवैतनिक या स्वयंसेवक देखभालकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई देखभाल, और स्वैच्छिक आधार पर देखभाल प्रदान करने वाले किसी व्यक्ति से अपेक्षित देखभाल के स्तर को संभावित रूप से अपने ध्यान में रखेंगे।

जब न्यायालयों को देखभाल में प्रशिक्षित व्यक्तियों या संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में आचरण की उपयुक्तता तय करनी होगी, तो वे इन परिस्थितियों पर विचार करेंगे।

'गंभीर अपराध' के कुछ उदाहरण क्या हैं?

गंभीर अपराधों *(serious offences)* की परिभाषा का अर्थ ऐसे अपराधों से है जिनके लिए पांच या इससे अधिक वर्षों के लिए कारावास का दंड दिया जाता है। ACT विधान में 'गंभीर अपराध' का वर्णन करने का यह सामान्य तरीका है।

गंभीर अपराधों के **कुछ** उदाहरणों में शामिल हैं:

> आक्रमण, जिससे कभी–कभी वास्तविक शारीरिक क्षति भी हो सकती है

> चोट या आक्रमण, जिससे कभी–कभी अत्यधिक शारीरिक क्षति भी हो सकती है

> गंभीर शारीरिक क्षति करने की धमकियाँ

> पारिवारिक हिंसा या व्यक्तिगत हिंसा आदेश का उल्लंघन

> अधिकाँश यौन अपराध

> हत्या और मर्डर

> बड़ी चोरी, डकैती और सेंधमारी

> धोखे से संपत्ति हड़पना

> धोखे से आर्थिक लाभ प्राप्त करना

> संपत्ति को गंभीर क्षति

गंभीर अपराधों में कुछ कृत्य **शामिल नहीं हैं**, जैसे:

> छोटी–मोटी चोरी
> सामान्य आक्रमण
> चोरी की गई संपत्ति पर गैर–कानूनी अधिकार
> परिवहन–संबंधी अपराध
> संपत्ति को मामूली नुकसान।

दुर्व्यवहार से प्रभावित होने वाले या दुर्व्यवहार होता हुआ देखने वाले व्यक्ति इस कानून के अंतर्गत शिकायत कैसे कर सकते हैं?

शिकायत करने का तरीका किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य की शिकायत करने के तरीके के समान है। अन्य आपराधिक व्यवहारों की तरह पहली घटना होते ही बात करने के लिए सबसे उपयुक्त लोग पुलिसकर्मी होते हैं।

क्या इस कानून के अंतर्गत दुर्व्यवहार होता हुआ देखने वाले व्यक्ति के लिए शिकायत करने की बाध्यता है? यदि शिकायत न की जाए, तो उसके लिए इसका क्या निहितार्थ है?

यदि आपको इस कानून में परिभाषित अपराध होता हुआ दिखाई देता है और आप संस्थान में प्राधिकार की पदस्थिति में नहीं हैं, तो इस कानून के अंतर्गत आपके ऊपर कोई अतिरिक्त दायित्व नहीं होंगे।

इसलिए अन्य किसी आपराधिक कृत्य के समान ही, पुलिस को सूचित नहीं करने की स्थिति में समुदाय के अधिकांश सदस्यों के लिए इसके कोई निहितार्थ नहीं हैं।

परंतु यदि आप संस्थान में प्राधिकार की पदस्थिति में हैं और संस्थान से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संवेदनशील व्यक्ति के प्रति गंभीर अपराध के खतरे को कम करने के लिए किसी स्वरूप में सूचना देना आवश्यक है, तो संवेदनशील व्यक्ति के प्रति गंभीर आपराधिक कृत्य के खतरे को कम करने के लिए आपको अपनी शक्ति के तहत सब–कुछ करना होगा।

क्या इन कानूनों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से सूचित करने के कोई नए दायित्व हैं?

नहीं। नए कानूनों से अनिवार्यतः सूचित करने की वर्तमान आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और सूचित करने के कोई नए दायित्व लागू नहीं हुए हैं। इन नए अपराधों को किसी भी अन्य नए बनाए गए अपराध के समान ही माना जाना चाहिए। इसमें एकमात्र अंतर यह है कि ये अपराध सभी लोगों के संरक्षण के बजाय विशेषकर संवेदनशील व्यक्तियों (जैसा कि परिभाषित किया गया है) के लिए लागू होते हैं।

यदि किसी व्यक्ति को किसी संवेदनशील व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या संभावित दुर्व्यवहार के बारे में पता चलता है, और यदि वह व्यक्ति संस्थान में प्राधिकारी व्यक्ति नहीं हैं तथा संस्थान से संबधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संवेदनशील व्यक्ति के प्रति गंभीर अपराध के खतरे को कम करने के लिए किसी प्रारूप में सूचित करना अनिवार्य नहीं है, तो ये नए अपराध यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।

यदि नियामक ढांचे के अंतर्गत संगठनों के लिए मौजूदा दायित्व हैं कि वे संवेदनशील व्यक्ति के प्रति आपराधिक व्यवहार किए जाने या इसके संदेह के बारे में सूचित करें या कोई अन्य कार्यवाही करें, तो ये दायित्व लागू बने रहेंगे।

यदि संगठनों के पास यह निर्धारित करने के लिए मौजूदा नियमावलियाँ हैं कि किसी संदिग्ध अपराध के लिए पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए अथवा वैकल्पिक कार्यवाही पर विचार किए जाना चाहिए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा (जैसा कि पहले बताया गया है, यह संस्थान के किसी प्राधिकारी व्यक्ति के लिए लागू नए नियमों के अधीन है, जिसे संस्थान से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संवेदनशील व्यक्ति के प्रति किए गए गंभीर अपराध से उस संवेदनशील व्यक्ति के उत्पीड़न के खतरे को दूर करने या कम करने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता है)।

क्या ये नए कानून अन्य अपराधों को प्रतिस्थापित करते हैं?

ये कानून मौजूदा आपराधिक कृत्यों की जगह नहीं लेते हैं। नए अपराध संवेदनशील वयस्कों के लिए कानून के दायरे में अतिरिक्त संरक्षणों का निर्माण और मौजूदा आपराधिक प्रावधानों का अनुपूरण करते हैं।

क्या नए कानून बच्चों के लिए लागू होते हैं?

ये अपराध केवल वयस्कों के लिए ही लागू होते हैं। बच्चों के संरक्षण और बाल–शोषण की रोकथाम के लिए अनेकानेक अन्य आपराधिक और गैर–आपराधिक कानून उपस्थित हैं, जिनमें सूचित करने की अनिवार्यता से संबंधित कानून और बच्चों की उपेक्षा का अपराध शामिल है।

बच्चों से संबंधित उपेक्षा के मौजूदा अपराध (धारा 39 *Crimes Act 1900)* में अधिकतम दंड संवेदनशील वयस्क व्यक्ति के लिए इस नए अपराध में नियत अधिकतम दंडों की तुलना में कम हैं। इसका कारण संबंधित अपराधों के तत्वों में अंतर है। विशेष रूप से, नया अपराध केवल तभी स्थापित होगा जब जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएँ उपलब्ध कराने में विफलता के परिणामस्वरूप हुई उपेक्षा से संवेदनशील व्यक्ति को गंभीर क्षति पहुँचती है। बच्चों से संबंधित अपराध दुर्व्यवहार, शोषण या माता–पिता द्वारा की गई उपेक्षा की परिस्थिति में स्थापित हो सकता है, चाहे इसके कारण हुई क्षति का स्तर कुछ भी हो।

क्या सरकार संवेदनशील व्यक्तियों के संरक्षण के लिए अन्य उपायों पर विचार करेगी?

सरकार संवेदनशील लोगों के वित्तीय शोषण के महत्व की पहचान करके मुख्तारनामे (पावर ऑफ एटॉर्नी) के कानूनों में सुधारों को यथाशीघ्र आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

वयोवृद्ध कैनबरावासियों और विकलाँगता–ग्रस्त लोगों के लिए अन्य कौन से संरक्षण उपलब्ध हैं?

Human Rights Commission Act 2005 (एचआरसी अधिनियम) के अंतर्गत शिकायतें करने और उनपर विचार किए जाने के लिए मौजूदा शिकायत तंत्र उपलब्ध हैं, जो विकलाँगता–ग्रस्त व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाओं और उनकी देखभाल के लिए उत्तरदायी लोगों, तथा वयोवृद्ध व्यक्तियों को प्रदान की गई सेवाओं और उनकी देखभाल के लिए उत्तरदायी लोगों से संबंधित हैं।

इनकी उपलब्धता जारी रखी जाएगी और उपयुक्त स्तर की सेवाएँ उपलब्ध कराने में सेवा प्रदाताओं की विफलताओं को, जिनमें प्रासंगिक मानकों को पूरा करने में विफलता की परिस्थिति भी शामिल है, सुलह के माध्यम से हल करने के लिए उपयुक्त मार्ग खुले रहेंगे।

हाल ही में एचआरसी अधिनियम में परिवर्तन किए गए हैं, जिनके माध्यम से मानवाधिकार आयोग को संवेदनशील व्यक्तियों के प्रति व्यवहार के बारे में शिकायतें सुनने और इन्हें संसाधित करने की शक्ति दी गई है (जिसे तीन नए अपराध प्रावधानों के प्रयोजनों की तरह ही परिभाषित किया गया है)। इससे एचआरसी संवेदनशील व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार, उपेक्षा या शोषण के आरोपों के बारे में विचार करने और आगे की कार्यवाही करने में सक्षम बन पाएगा।

यह व्यक्ति–विशेषों पर निर्भर करता है कि वे ACT मानवाधिकार आयोग और ACT पुलिसिंग, इन दोनों के साथ मामले के बारे में चर्चा करके तय करें कि वे एचआरसी (या दोनों निकायों) के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं या नहीं।

Towards Disability Justice for the ACT[3] में विकलाँगता–ग्रस्त कैनबरावासियों के लिए उपलब्ध अनेक संरक्षणों पर ध्यान दिया गया है, जिनमें ACT में स्थित विकलाँगता–ग्रस्त लोगों के समर्थन के लिए पहले से ही लागू उपाय भी शामिल हैं।

समर्थन

यदि किसी व्यक्ति को दुर्व्यवहार या उपेक्षा का अनुभव हो रहा है या वह उसका साक्षी है, तो ACT में समुदायिक–नेतृत्व वाले ऐसे कई संगठन हैं जो कैनबरावासियों को सहायता और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। आप ACT में पक्ष–समर्थन सेवाओं के बारे में और अधिक जानकारी इस वेबसाइट से प्राप्त कर सकते/सकती हैं:
https://www.communityservices.act.gov.au/quality–complaints–and–regulation/advocacy

1800RESPECT एक राष्ट्रीय स्तर की यौन–आक्रमण, घरेलू और पारिवारिक हिंसा परामर्श सेवा है, और यह हिंसा व दुर्व्यवहार का अनुभव करने वाले लोगों, या इसके अनुभव के खतरे वाले लोगों, उनके मित्रों और परिवार एवं व्यावसायिकों को समर्थन प्रदान करती है। किसी योग्यता–प्राप्त सलाहकार से अपनी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करने के लिए कृपया नंबर 1800 737 732 पर कॉल करें या उनकी वेबसाइट https://www.1800respect.org.au/services/about–service–directory पर जाएँ।

[3]और अधिक जानकारी के लिए इस प्रकाशन के पृष्ठ 71-75 देखें:
https://www.communityservices.act.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/1337783/Towards-Disability-Justice-for-the-ACT-Summary-of-research-and-consultations-2019.pdf

ACT Disability, Aged and Carer Advocacy Service (ADACAS) एक मानवाधिकार–आधारित संगठन है जो विकलाँगता–ग्रस्त लोगों, मानसिक रोग का अनुभव करने वाले लोगों एवं वृद्धजनों और देखभालकर्ताओं को निःशुल्क व्यक्तिगत पक्ष–समर्थन, जानकारी और सलाह प्रदान करता है। उनके पक्ष–समर्थक नए कानूनों को समझने में सहायता कर सकते हैं, तथा रिपोर्ट या शिकायत जमा करने में समर्थन दे सकते हैं। ADACAS का पता Unit 14/6 Gritten Street, Weston है और नंबर (02) 6242 5060 पर कॉल करके या adacas@adacas.org.au पर ईमेल भेजकर इससे संपर्क किया जा सकता है। ADACAS के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट adacas.org.au पर देखी जा सकती है।

Advocacy for Inclusion ACT में रहने वाले विकलाँगता–ग्रस्त लोगों के लिए व्यक्तिगत, स्वयं किए जा सकने वाला और प्रणालीगत पक्ष–समर्थन प्रदान करता है। उनके पक्ष–समर्थक नए कानूनों के बारे में और अधिक जानकारी, सहायता प्राप्त करने अथवा शिकायत या रिपोर्ट जमा करने में समर्थन दे सकते हैं। Advocacy for Inclusion का पता Suite 2.02 Griffin Centre, 20 Genge Street, Canberra ACT 2601 है और नंबर (02) 6257 4005 पर कॉल करके या info@advocacyforinclusion.org पर ईमेल भेजकर इससे संपर्क किया जा सकता है। **Advocacy for Inclusion** के बारे में और अधिक जानकारी वेबसाइट http://www.advocacyforinclusion.org पर देखी जा सकती है।

Canberra Rape Crisis Centre टेलीफोन नंबर (02) 6247 2525 पर बलात्कार से संबंधित संकट और सलाह सेवा प्रदान करता है। और अधिक जानकारी वेबसाइट https://www.crcc.org.au/ पर देखी जा सकती है।

Carers ACT विशेष रूप से अवैतनिक देखभालकर्ताओं को पक्ष–समर्थन से संबंधित जानकारी एवं परामर्श समेत अनेकानक समर्थन प्रदान करता है और नंबर (02) 6296 9900 पर कॉल करके या वेबसाइट https://www.carersact.org.au/advocacy–and–repreting–your–views/ पर इससे संपर्क किया जा सकता है।

Consumer Law Centre और Care Inc Financial Counselling Service वित्तीय दुर्व्यवहार का अनुभव करने वाले या इससे प्रभावित हुए किसी भी व्यक्ति को सहायता प्रस्तुत कर सकते हैं। Consumer Law Centre से संपर्क नंबर (02) 6143 0044 पर कॉल करके या ऑनलाइन वेबसाइट http://www.carefcs.org/contact पर किया जा सकता है।

Domestic Violence Crisis Service (DVCS) ऐसे किसी भी व्यक्ति को 24/7 संकटकालीन हस्तक्षेप समेत अनेकानेक सेवाएँ प्रदान करती है, जिसे घरेलू और पारिवारिक हिंसा का अनुभव हो रहा है या पहले कभी इसका अनुभव हुआ था। DVCS कानूनी सहायता और पक्ष–समर्थन भी प्रदान करती है। और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://dvcs.org.au/our–services/crisis–intervention/ पर जाएँ या नंबर (02) 6280 0900 पर संपर्क करें। अतिरिक्त संपर्क विवरण वेबसाइट https://dvcs.org.au/contact/ से प्राप्त किए जा सकते हैं।

Legal Aid ACT हेल्पलाइन कानूनी जानकारी प्रदान कर सकती है और निःशुल्क कानूनी सलाह के लिए एपॉइंटमेंट की व्यवस्था कर सकती है। आप Legal Aid ACT हेल्पलाइन से नंबर 1300 654 314 पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।

National Disability Abuse and Neglect Hotline एक निःशुल्क, स्वतंत्र और गोपनीय सेवा है, जिसके पास विकलाँगता–ग्रस्त लोगों के साथ दुर्व्यवहार और उनकी उपेक्षा के बारे में रिपोर्टिंग की जा सकती है। रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन नंबर 1800 880 052 पर संपर्क करें या hotline@workfocus.com पर ईमेल भेजें। और अधिक जानकारी वेबसाइट https://www.jobaccess.gov.au/complaints/hotline पर देखी जा सकती है।

OneLink ACT में समर्थन सेवाओं के लिए जानकारी और संपर्क प्रदान करता है, जिसमें परिवारों और युवा लोगों के लिए सेवाएँ तथा बेघर या बेघर होने के खतरे वाले लोगों के लिए सेवाएँ शामिल हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर 1800 176 468 पर संपर्क करें या वेबसाइट https://www.onelink.org.au/ पर जाएँ।

Victim Support ACT अपराध के शिकार हुए लोगों को अनेक सेवाएँ उपलब्ध कराता है। Victim Support ACT से नंबर 1800 822 272 पर कॉल करके अथवा ऑनलाइन वेबसाइट https://hrc.act.gov.au/contact–us/ के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

भाषाएँ

अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में बात करने के लिए कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा (TIS) को नंबर 131 450 पर फोन करें। यह सेवा सप्ताह में सातों दिन, 24 घंटे परिचालित की जाती है।

إذا كنت بحاجة إلى مترجم إتصل بالرقم: 13 14 50

翻译和口译服务：13 14 50

Ako trebate tumača, nazovite: 13 14 50

Αν χρειάζεστε διερμηνέα, τηλεφωνήστε: 13 14 50

Se hai bisogno di un interprete, chiama: 13 14 50

Jekk għandek bżonn ta 'interpretu, sejħa: 13 14 50

اگر نیاز به مترجم دارید با این شماره تماس بگیرید: 13 14 50

Jeśli potrzebujesz tłumacza, zadzwoń: 13 14 50

Se você precisar de um intérprete, ligue para: 13 14 50

Если Вам нужен переводчик,
пожалуйста звоните по номеру: 13 14 50

Ако треба тумача, назовите: 13 14 50

Si usted necesita un intérprete, llame al: 13 14 50

Eğer bir tercümana ihtiyacınız Arama: 13 14 50

Nếu bạn cần một thông dịch viên, xin gọi: 13 14 50

और अधिक जानकारी के लिए

नए कानूनों के बारे में और अधिक जानकारी तथा इस प्रपत्र का सरल अंग्रेज़ी संस्करण वेबसाइट https://justice.act.gov.au/vulnerablepeople पर देखा जा सकता है।